मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-5/2015/12/2 भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले,
मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 लागू होने के संबंध में।

खनिज साधन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 लागू किये गये हैं। इसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28.07.2016 को किया गया है। इसकी प्रति शासकीय मुद्रणालय की वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाईट से नियम की प्रति डाउनलोड की जा सकती है। इस नियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

1. इस नियम में जिला स्तर पर जिला खनिज प्रतिष्ठान के न्यास मंडल का गठन किया जाना है। (नियम-3) जिसमें अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष जिले के कलेक्टर तथा सदस्य सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को शामिल होंगे। इस न्यास मंडल में जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, मा. संसद सदस्य, मा. विधायक गण को सदस्य के रूप में तथा खनन से प्रभावित क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्ष, शहरी स्थानीय निकाय के पीठासीन अधिकारी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किये जायेंगे। **(नियम-5)**.
2. नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि, मण्डल (बोर्ड) का जिला खनिज प्रतिष्ठान के प्रबंधन एवं क्रियाकलापों पर पूर्ण नियंत्रण, राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अधीन होगा। मण्डल (बोर्ड) को प्रदत्त की जा रहीं शक्तियां एवं प्रदत्त किए जा रहे कार्य नियम में प्रावधानित किये गये हैं। **(नियम-6)**
3. मण्डल (बोर्ड) के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान की गतिविधियों के दैनिक प्रबंधक तथा पर्यवेक्षण के लिए कार्यपालन समिति का गठन किया गया है। इस कार्यपालन समिति के सभापति कलेक्टर

तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य सचिव होंगे। इसमें जिला स्तर के कुछ विभागों के अधिकारी, लीड बैंक के अधिकारी आदि को शामिल किया गया है। **(नियम-7)** कार्यपालन समिति की शक्तियां नियम 7(2) में प्रावधानित की गई हैं।

4. उक्त प्रतिष्ठान की निधि (फंड्स ऑफ फाउन्डेसन) में मुख्य खनिज के पट्टाधारियों द्वारा प्रतिष्ठान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से जमा की जाने वाली रकम, अन्य जिला प्रतिष्ठान से अतिरिक्त निधि, प्रतिष्ठान में जमा रकम से प्राप्त ब्याज व अन्य प्राप्तियां तथा किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा स्वेंच्छा से दिए गए अंशदान तथा राज्य शासन की पूर्व अनुमति से प्रदत्त ऋण/अनुदान व बजट प्रावधान शामिल होंगे। **(नियम-8)**

5. जिला खनिज प्रतिष्ठान का बैंक खाता अधिसूचित बैंक में संधारित किये जाने के प्रावधान किया गया है। कार्यपालन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिष्ठान के बैंक के खातों का संचालन दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। रूपये 5,000/- (पांच हजार) से कम की राशि को छोडकर इससे अधिक की राशि को इलेक्ट्रानिक भुगतान के माध्यम अथवा एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। **(नियम-9)**

6. मुख्य खनिज की खदानों पर राशि देय होने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधानित किया गया है कि, जिस दिवस व समय को मुख्य खनिज के पट्टाधारियों को रायल्टी राशि देय होगी, उसी समय पर इन नियमों के तहत देय अंशदान की राशि (डी.एम.एफ) की राशि भी पट्टाधारियों को जमा करनी होगी। पट्टाधारियों को अभिवहन परिपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिष्ठान को अंशदान का भुगतान न कर दिया गया हो। यदि इसके भुगतान में विलंब किया जाता है तो मूल भुगतान के अतिरिक्त विलंब अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज का भुगतान भी पट्टाधारी को करना होगा। **(नियम-10)**

7. इन नियमों में खनन से प्रभावित क्षेत्रों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाय) के अनुरूप परिभाषित किया गया है। नियमों में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं अपरोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। **(नियम-12)**

8. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाय) के अनुरूप जिला खनिज संस्था के अधीन प्राप्त निधि में से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत निधि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्नानुसार किया जाना प्रावधानित किया गया है। **(नियम-13)**

उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र जिनमें 60 प्रतिशत निधि का उपयोग किया जाना प्रावधानित है।	अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र जिनमें 40 प्रतिशत निधि का उपयोग किया जाना प्रावधानित है।
• पेयजल प्रदाय • पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय • स्वास्थ्य कल्याण • शिक्षा • महिला एवं बाल कल्याण • वृद्ध एवं नि: शक्त जन कल्याण • कौशल विकास • स्वच्छता	• भौतिक अवसंरचना • सिंचाई • उर्जा एवं वाटर शेड विकास • खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता की बढ़ोत्तरी हेतु अन्य कोई उपाय।

9. नियमों में यह प्रावधानित किया गया है कि प्रतिष्ठान के तहत लिए जाने वाले विकास एवं कल्याणकारी कार्य जहां तक संभव हो सके राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा वित्त पोषित (फंडेड) वर्तमान में संचालित योजना/परियोजना के सहायक के रूप में होनी चाहिए। **(नियम - 13)**

10. प्रतिष्ठान को प्राप्त होने वाली वार्षिक प्राप्तियों की अधिकतम 3 प्रतिशत राशि प्रतिष्ठान के प्रशासकीय व्यय हेतु नियत किए जाने का प्रावधान किया गया है।

11. जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्र में कोई विकास कार्य अथवा ऐसे कार्य जिनमें एक से अधिक जिले शामिल होने पर जमा राशि में से निम्नानुसार प्रतिशत राशि राज्य के शीर्ष में हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान किया गया है:-

क्र.	वार्षिक प्राप्ति (करोड़ रूपये में)	राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण योग्य राशि का प्रतिशत
1	0 से 5 करोड़ तक	0 प्रतिशत
2	5 करोड़ से 25 करोड़ तक	25 प्रतिशत
3	25 करोड़ से अधिक	50 प्रतिशत

इस राशि को व्यय करने के लिए सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य सचिव संचालक, बजट वित्त विभाग होंगे। इस समिति का विवरण नियम 14 में दर्शित हैं।

12. अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले कार्यों/योजना आदि का अनुमोदन, लाभान्वितों की पहचान तथा प्रतिष्ठान के कार्यों के प्रतिवेदन को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया गया है। **(नियम-15)**

13. प्रत्येक जिले के प्रतिष्ठान को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना है। जिसे विधान सभा के पटल पर खनिज साधन विभाग द्वारा रखे जाने का प्रावधान किया गया है। **(नियम-18)**

14. प्रत्येक पट्टेदार को प्रतिष्ठान द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक खाते में प्रतिष्ठान को देय राशि जमा की जानी होगी। जिसकी सूचना जिले की खनिज शाखा को दी जानी होगी। जिले की खनिज शाखा द्वारा भुगतान योग्य राशि तथा जमा की गई राशि का रजिस्टर संधारित करना होगा। प्रत्येक माह के उपरांत इसका विवरण समिति के सदस्य सचिव को दिया जाना होगा। **(नियम-20)**

नियमों में प्रावधानित जिला खनिज प्रतिष्ठान भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन अलाभप्रद न्यास है। इस न्यास का नियमानुसार पंजीयन कराया जाये। नियमों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अहम भूमिका है। नियमों के तहत समस्त प्रशासकीय कार्यवाही उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(शिव शेखर शुक्ला)
सचिव
म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग

पृष्ठ कमांक एफ 19-5/2015/12/2 भोपाल, दिनांक 04-8-2016

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संभाग ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, खनिज साधन विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला ....., मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। जिले के समस्त माननीय संसद सदस्य/माननीय विधायक/अध्यक्ष जिला पंचायत/स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को अवगत कराने हेतु प्रेषित है।

5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जिला खनिज प्रतिष्ठान में जमा होने वाली राशि एवं देय राशि का पत्रक माह समाप्ति के पश्चात आगामी माह के 5 तारीख तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रभारी अधिकारी, ई–खनिज, संचालनालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा, जिला ....., मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

सचिव 4/8/16
म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग